न्यायालय जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 सौम्या झा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 16/2026, भरण पोषण अपील

1. जगदीश प्रसाद पुत्र रामप्रताप, उम्र 63 वर्ष, जाति मीना, निवासी अयोध्या नगर, सैंथल रोड, तहसील व जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. महेश पुत्र जगदीश प्रसाद
2. मीना पत्नी महेश
3. कमलेश पुत्र जगदीश प्रसाद
4. सुमन पत्नी कमलेश

समस्त निवासी अयोध्या नगर, सैंथल रोड़, तहसील व जिला दौसा, राजस्थान।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–16(माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत)

उपस्थिति :–: श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री पदम सिंह गुर्जर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 26.05.2026

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 21 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 पेश कर प्रार्थी के मकान से अप्रार्थीगण को बेदखल करने का निवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 02/2025 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2026 के द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई एवं प्रकरण से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पदम सिंह गुर्जर उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट नं. 3 व 4 न्यायालय में उपस्थित हुये किन्तु कोई लिखित या मौखिक जवाब नहीं दिया। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सुनवाई **Senior Citizens Act 2007** के अनुसार 90 दिन में पूरी की जानी चाहिए थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सामान्य प्रकरण की तरह सुनवाई कर प्रकरण को एक वर्ष तक लम्बित रखा है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का मैरिट पर विचार किये बिना मात्र तकनीकी आधार (**WRONG SECTION**) पर आवेदन खारिज कर दिया। जो विधि एवं न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है, अपीलकर्ता एक वरिष्ठ नागरिक है। विवादित मकान अपीलकर्ता की स्वअर्जित एवं स्वनिर्मित सम्पत्ति है। अप्रार्थीगण का उक्त मकान में निवास केवल अनुमति पर आधारित है, अप्राथीगण द्वारा अपीलकर्ता के साथ मानसिक, शारीरिक एवं

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल यह कहकर आवेदन खारिज कर दिया कि धारा 21 के अन्तर्गत बेदखली नहीं की जा सकती है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक विवाद सीनियर सीटीजन प्रोटेक्शन से जुडा था। **Permissive possession** का सिद्वान्त यह है कि यदि सम्पत्ति स्वअर्जित है तो उस पर पुत्र/पुत्रवधू का कोई स्वामित्व अधिकार नहीं होता, उनका निवास केवल अनुमति आधारित है, अनुमति समाप्त होने पर बेदखली पूर्णतय वैध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता की सुरक्षा पर वास्तविक विवाद को नजरअंदाज किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त का उल्लंघन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद–21 सम्मान जनक जीवन का अधिकार प्रदान करता है। यदि वरिष्ठ नागरिक अपने ही घर में असुरक्षित है तो यह अधिकार प्रभावित होता है। अपीलकर्ता वरिष्ठ नागरिक है एवं विवादित मकान उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति है। रेस्पोडेंट्स द्वारा वर्तमान में अपीलकर्ता के साथ मारपीट गाली–गलौच एवं आर्थिक शोषण के कारण अपीलकर्ता का जीवन असहनीय एवं असुरक्षित हो गया है। जब परिवार के सदस्य ही उत्पीडक बन जायें, तब जिला प्रशासन का कर्तव्य है कि वह सीनियर सीटीजन को सुरक्षा प्रदान करें, उसकी सम्पत्ति को खाली करावें व कानून का प्रभावी क्रियान्वन कर न्याय प्रदान करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कोई विचार किये बिना ही मनमाना एवं विधिविरूद्व तथा अस्पष्ट आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 02/2025 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2026 को निरस्त कर अप्रार्थीगण को अपीलकर्ता की स्वनिर्मित एवं स्वअर्जित सम्पत्ति (अयोध्या नगर, सैंथल रोड, दौसा स्थित मकान) से बेदखल करने तथा अपीलकर्ता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु आवश्यक निर्देश फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि अपीलान्ट के प्रश्नगत मकान को बनाने में रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने मजदूरी करके करीब दस लाख रूपये अपीलान्ट को दिये थे, तथा सन् 2004 में मकान, शौचालय व स्नानघर बनाने, टाईल्स व खिडकी दरवाजें में दो लाख रूपये खर्च किये है। रेस्पोडेंट्स की माता का समस्त जेवर अपीलान्ट व रेस्पोडेंट नं. 4 के पास है। रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 के पास कुछ भी सामान व जेवर नहीं है। रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ही अपीलान्ट की सेवा करते है तथा खाना व उनकी देखरेख भी करते है। रेस्पोडेंट्स की माता की मृत्यु होने के बाद अपीलान्ट रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 के पास ही रहता था। अब करीब दो माह से अपीलान्ट अपनी मर्जी से रेस्पोडेंट नं. 3 व 4 के पास रहता है। रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 आज भी अपीलान्ट को अपने साथ रखने को तैयार है तथा पहले भी तैयार थे, एवं उनकी भली–भांति सेवा व देख–रेख एवं खाना वगैरा देने को तैयार हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने यह भी कथन किया की अपीलान्ट सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ है तथा उसे चालीस हजार रूपये मासिक पेंशन मिलती है, अपीलान्ट के पास आठ दुकानें है। जिनमें से चार दुकानें किरायें पर दे रखी है जिसका मासिक किराया आठ हजार रूपये आता है। जो भी अपीलान्ट स्वंय लेता है। अपीलान्ट ने मकान में बिजली के कनेक्शन ले रखें है। जो रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 के नाम से है, तथा एक कनेक्शन रेस्पोडेंट नं. 3 व 4 के नाम से है। दुकानों का बिजली कनेक्शन भी अपीलान्ट के नाम से है। जमीन जो बाई–बर्थ आई है वह भी अपीलान्ट के पास है। तथा अपीलान्ट का ही कब्जा है। अपीलान्ट को सेवानिवृत्ति में मिले लगभग पचास लाख रूपये भी अपीलान्ट के पास ही है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट स्वयं सक्षम है। रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 के रहने के लिए अन्य कोई मकान नहीं है। रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 अपीलान्ट को आज भी भली प्रकार से रखने व उसका सारा खर्च उठाने को तैयार है। अपीलान्ट ने बहकावे में आकर यह अपील गलत आधारों पर पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा वरिष्ठ नागरिक होना एवं विवादित मकान उसका स्वअर्जित एवं स्वंय निर्मित मकान जिसमें रेस्पोडेंट्स केवल उसकी अनुमति से निवासरत होना बताया गया है। रेस्पोडेन्ट्स अपीलान्ट के पुत्र एवं पुत्रवधू हैं।

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट ने रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलान्ट के साथ मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक उत्पीडन का आरोप लगाते हुये संरक्षण एवं बेदखली संबंधी अनुतोष चाहा गया है। रेस्पोडेंट्स द्वारा यह तथ्य पेश किया गया है कि अपीलार्थी आर्थिक रूप से सक्षम है तथा उसे पेंशन व किराया आदि आय प्राप्त होती है। विवादित मकान के निर्माण में रेस्पोडेंट्स का भी योगदान है तथा उक्त मकान पर अधिकार के सम्बन्ध में भी दावा किया गया है। इस प्रकार पक्षकारों के मध्य स्वामित्व, कब्जा, प्रताड़ना, आय एवं पारिवारिक अधिकारों से सम्बन्धित तथ्य विवादित है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 अपीलांट की भली भांति सेवा व देखरेख करने को तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मुख्यतः इस आधार पर निरस्त किया गया है कि वांछित अनुतोष धारा 21 के अन्तर्गत दिया जाना सम्भव नहीं है। किन्तु केवल गलत धारा या गलत प्रावधान का उल्लेख मात्र किसी वरिष्ठ नागरिक के संरक्षण सम्बन्धी आवेदन को निरस्त करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। अपीलार्थी की आर्थिक आत्म निर्भरता से सम्पत्ति एवं जीवन रक्षा सम्बन्धी दावा समाप्त नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.3.2026 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी दौसा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पक्षकारों के विवादित मकान के स्वामित्व, कब्जा, भरण–पोषण, प्रताड़ना एवं बेदखली सम्बन्धित तथ्यों तथा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक के जीवन एवं सम्पत्ति संरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकरण का परीक्षण कर नियमानुसार निर्धारित समयावधि में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official